



विरुद्धप्रिया न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

श्री कृष्ण निगरानी प्रकरण क्रमांक ४५९-२१७ जिला टीकमगढ़
 द्वारा आज दि ५-१-१७ को
 प्रस्तुत
 बलक औफ कोर्ट ५-१-१७
 राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर
 १७
 ५-१-१७

1. मातादीन तनय कुट्टू ढीमपर
 2. भगवानदास तनय भगोले कोरी
 3. रगुआ उर्फ रगवर कोरी तनय भगोले कोरी जुगल तनय कुट्टू जोगी फैत वारसान
 4. हरकुंवर बेवा जुगल जोगी सभी निवासीगण ओरछा, तह. ओरछा जिला टीकमगढ़ म.प्र. आवेदकगण //विरुद्ध//
- म.प्र. शासन अनावेदक

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 271/अ-19/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों सहित निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि आवेदकगण को भूमि स्थित ग्राम ओरछा का पट्ठा नायब तहसीलदार निवाड़ी के प्रकरण क्रमांक 24/अ-19/1972-73 में द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.1973 के तहत भूमि खसरा नंबर 455/15 मातादीन, 455/20 भगवानदास, 455/19 रगुवा उर्फ रगवर, 455/16 जुगल के नाम रकवा 2.023 हेठो के पट्ठे विधिवत रूप से जारी किए गए थे। जिसके आधार पर आवेदकगण को राजस्व रिकार्ड सुधार किया जाकर भू-अधिकार त्रण पुस्तिका प्रदान की गई थी तभी से आवेदकगण विधिवत रूप से काबिज चला आ रहा है।
2. यह कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना स्वप्रेरणा की कार्यवाही करते हुए वर्ष 1986 में आवेदक को जारी पट्ठा

VIRENDRA KUMAR
I.C.I. 2907/99, (Adv.)
Board of Revenue M.P. Gwal.
M.O.B. 9826234210

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग-49 / I / 17 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
४-१-१७	<p>1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता व्ही.के. तारे उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से सूची अभिभाषक उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र.क्र. 271 / अ-19 / 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2016 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2— आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि आवेदक को भूमि स्थित ग्राम ओरछा खसरा नंबर 455 / 15 मातादीन, 455 / 20 भगवानदास, 455 / 19 रगुवा उर्फ रगवर, 455 / 16 जुगल के नाम सभी को रकवा 2.023 हेठो के पट्टे नायब तहसीलदार निवाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.1973 के तहत प्रदान किया गया था जिसके आधार पर आवेदकगण को राजस्व रिकार्ड सुधार किया जाकर भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदान की गई थी तभी से आवेदकगण विधिवत रूप से काबिज चले आ रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना स्वप्रेरणा की कार्यवाही करते हुए वर्ष 1986 में जारी किए गए पट्टे बिना किसी कारण के निरस्त किये हैं जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त किए जाने से इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>उनका यह भी तर्क है कि वर्ष 1983-84 के खसरा पांचसाला में भूमि स्वामी के रूप में आवेदकगण का नाम दर्ज है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिए बिना वर्ष 1973 में जारी प्रदत्त पट्टा निरस्त कर गंभीर विधिक त्रुटि की है यहां तक की पारित आदेश की कोई तिथि भी खसरा पांचसाला में</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>अंकित नहीं की है। मात्र प्रकरण क्रमांक उल्लेख करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज की गई है। जबकि आदेश दिनांक 04.06.1986 रिकार्ड रूम द्वारा रजिस्टर में उल्लेखित है जिसकी प्रति रिकार्ड रूम द्वारा दिनांक 03.01.2017 को प्रदान की गई है जिसमें उक्त प्रकरण विनष्ट किया जा चुका है का उल्लेख किया है। जिसकी प्रति एवं आवेदकगण के कब्जे बावत दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उनका यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त सागर के समक्ष खासरा पांचसाला की प्रति के साथ समयावधि आवेदन धारा 5 एवं प्रमाणित प्रतिलिपि से छूट बावत आवेदन धारा 48 सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा आग्रह किया था कि आवेदकगणों को पैसे की आवश्यकता थी इस आधार पर उन्होंने अपनी भूमि के विक्रय किए जाने के उद्देश्य से खसरा की प्रति निकलवायी जिसमें भूमि शासन के नाम दर्ज होने की संज्ञान आने पर अपील प्रस्तुत कराई थी इस तथ्य की पुष्टि हेतु शपथपत्र भी प्रस्तुत किए गए थे। किंतु प्रकरण आग्राह्य किए जाने से उन्होंने पारित दोनों आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>3— उन्होंने अपने तर्कों में यह भी कहा है कि आवेदकगण को वर्ष 1973 में प्रदत्त अस्थाई पट्टा वर्ष 1984 के खसरा में दर्ज होने के आधार पर एवं म.प्र.शासन राजस्व विमाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क. 6-1/84/07/2 ए दिनांक 02.09.1984 के तहत उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए गए है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी सुनवाई एवं अधिकारिता के स्वप्रेरण से भूमि शासन के नाम दर्ज कर आवेदकगण के साथ अन्याय किया है। “राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की</p>	<p style="text-align: center;">O/W</p>

1/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. .निग-49./.I./.17 जिला टीकमगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पश्चकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुवितयुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के सेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.-44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। “माननीय उच्च न्याया, न्यायिक एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है” अतएव उन्होंने आवेदकगण को जारी किया गया पट्टा आदेश दिनांक 22.08.1973 स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।</p> <p>4— आवेदकगण एवं अनावेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा अपने प्र.क्र. 18/अ-19/1985-86 के आधार पर बिना किसी आदेश की तिथि अंकित किए आवेदक को दिया गया पट्टा निरस्त किए जाने का उल्लेख खसरा पांचसाला में किया है। रिकार्ड रूम टीकमगढ़ द्वारा जारी पत्र दिनांक 03.01.2017 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 04.06.1986 को आदेश पारित किए जाने, और उसके विनष्ट किए जाने का उल्लेख किया है। जबकि आवेदक का कब्जा खसरा पांचसाला वर्ष 1984 में उल्लेखित है इस कारण म.प्र.शासन के परिपत्र क्र. 6-1/84/07/2ए दिनांक 02.09.1984 के तहत उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदत्त किया जाना पाया जाता है। तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत आवेदकगण के कब्जे की पुष्टि होती है</p>	(म)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>इस कारण स्वप्रेरणा से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना भूमि शासन के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ।</p> <p>आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार स्वप्रेरणा की कार्यवाही एवं आवेदकगण को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने से उन पर 165(7-ख) प्रभावशील न होने एवं राजस्व परिपत्र के तहत भी इस न्यायालय को प्रकरण श्रवण किए जाने की अधिकारिता होने के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश भी वैद्य नहीं पाता हूँ।</p> <p>5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाता है तथा अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 18/अ-19/1985-86 के तहत पारित आदेश दि. 04.06.1986 निरस्त किया जाता है। तथा विचारण न्यायालय तहसीलदार निवाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.1973 स्थिर रखा जाता है तथा तहसीलदार ओरछा को निर्देशित किया जाता है। कि वे आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख एवं कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	 सरदार सिंह